

राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक : प. 8(14)त.शि./2006

जयपुर, दिनांक : 3 मई, 2012

निदेशक,
तकनीकी शिक्षा,
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय,
रेजीडेन्सी रोड,
जोधपुर।

विषय :- (1) नियमित शैक्षणिक स्टाफ द्वारा अपने कार्य के अतिरिक्त द्वितीय पारी में कक्षाएँ लेने की अनुमति एवं मानदेय भुगतान के संबंध में।
(2) गेस्ट फेकल्टी पिरीयड एवं मानदेय सीमा में वृद्धि के संबंध में।
संदर्भ :- आपका पत्रांक : एफ 8(1-ए)प्राशिनि/ई-1/सी-5/2564 दि 16.3.2012

← P.57/c

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि नियमित शैक्षणिक स्टाफ द्वारा अपने कार्य के अतिरिक्त द्वितीय पारी में कार्यालय समय के पश्चात् कक्षाएँ लेने हेतु मानदेय रूपये 250/- प्रति घण्टे (Maximum Period: 50 - Rs. 12500/- Permonth) की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि इससे AICTE द्वारा निर्धारित मानदण्डों एवं निर्देशों का उल्लंघन नहीं होना चाहिये।

यह स्वीकृति वित्त विभाग के आई.डी. संख्या 151200404 नांक 30.4.2012 के द्वारा प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जा रही है।

भवदीय,

3/5/12

प्रधानाचार्य
राजस्थान तकनीकी शिक्षा विभाग
जोधपुर

(आर.के.गुप्ता)
संयुक्त सचिव, त.शि.

प्रतिलिपि उप शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

DIRECTORATE OF TECH. EDUCATION

JODHPUR

R. R. No. 4762

DATE 10/5/12

संयुक्त सचिव, त.शि.